/

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनाम

लोकेंद्र राथोड और हमारा। (2022 की सिविल अपील संख्या 009014) 06 दिसंबर, 2022

/

[कृष्णा मुरारी और बेला एम. त्रिवेदी, जे. जे।]

मोटर वाहन अधिनियम, 1988:s.168-घातक दुर्घटना-न्यायसंगत और उचित मुआवजा-दावेदारों (पीड़ित-मृतक के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि) ने Rs.20 लाख के मुआवजे की मांग की-न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय का अनुमान रु। 4000 और रुपये के दावे की अनुज्ञात । ब्याज के साथ 6,24,000-उच्च न्यायालय ने मृतक की मासिक आय बढ़ाकर रु। 5000 रुपये का मुआवजा दिया गया। ब्याज के साथ 11,41,000-इसलिए तत्काल अपील-आयोजितःन्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक के आयकर विवरणी (आई. टी. आर.) की अवहेलना करके मृतक की आय का अनुमान लगाते हुए गंभीर त्रुटि की-मृतक के आई. टी. आर. में उसकी वार्षिक आय लगभग रु.9, 855/- प्रति माह-चूंकि मृतक के परिवार में सात आश्रित हैं, इसलिए मृतक के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए उचित कटौती केवल 1/5 वीं होनी चाहिए न कि 1/4 वीं, जैसा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है-इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं में कोई वृद्धि नहीं करके गलती की, जबकि उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा और प्रणय सेठी पर भरोसा रखते हुए कहा कि चूंकि मृतक की आयु 40 वर्ष से अंतर्गत थी और वह स्व-नियोजित था, इसलिए वह अपनी स्थापित आय के 40 प्रतिशत की भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का हकदार है-भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय का 40 प्रतिशत जोड़ने के उच्च न्यायालय के तर्क में कोई त्रुटि नहीं है-इसके अलावा, न्यायाधिकरण ने Rs.10 की मामूली राशि का आदेश दिया।

/

/

/

/

/

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम इस मामले में इस न्यायालय की पीठ।सतिंदर

प्रणय सेठी पर विचार करने के बाद कौर को ए में पति-पत्नी संघ से सम्मानित किया गया।

/

661

662 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 16 एस. सी. आर.

आई. डी. 2,000/की दर और आई. डी. 2,000/- की दर से प्रत्येक बच्चे को माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत मुआवजे में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है-इस प्रकार, पति-पत्नी के संघ को आई. डी. 1,000/पर और माता-पिता के संघ को आई. डी. 1,000/प्रत्येक की दर से तीन बच्चों को दिया जाता है-इस प्रकार अपीलकर्ताओं को देय कुल मुआवजा आई. डी. 3,91,388/- है, जिसमें आवेदन दायर करने की तारीख से लेकर अपीलकर्ताओं को मुआवजे के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज होता है।

/

मोटर वाहन अधिनियम, 1988-लाभकारी विधान-मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एक लाभकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विरचित गया है - मोटर वाहन अधिनियम का s.168 'न्यायसंगत मुआवजे' की अवधारणा से संबंधित है जिसे निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

/

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

/

अभिनिर्धारित किया **:1.** न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक के आयकर विवरणी की अवहेलना करके मृतक की आय का अनुमान लगाते हुए गंभीर त्रुटि की।अपीलकर्ताओं ने मृतक का आयकर विवरणी **(2009-2010)** दाखिल किया था, जो मृतक की वार्षिक आय को दर्शाता है।**9, 855/-** प्रति माह।मृतक की वार्षिक आय रु. **1,18,261-,** लगभग निर्धारित की जाए।वर्ष **2009-2010** के लिए मृतक के आयकर विवरणी को ध्यान में रखते हुए **9,855/-** रुपये प्रति माह।[पैरा **9**] **[667-D-E, G]**

/

2. मोटर वाहन अधिनियम, **1988** के प्रावधान 'न्यायसंगत और निष्पक्ष' मुआवजे की अवधारणा को सर्वोपरि महत्व देते हैं।यह एक लाभकारी कानून है जिसे पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से विरचित गया है।मोटर वाहन अधिनियम की धारा **168** 'न्यायसंगत मुआवजे' की अवधारणा से संबंधित है जिसे निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर

निर्धारित किया जाना चाहिए।यद्यपि ऐसा निर्धारण कभी भी अंकगणितीय रूप से सटीक या पूर्ण नहीं हो सकता है, लेकिन न्यायालय द्वारा न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए, चाहे आवेदक द्वारा दावा की गई राशि कुछ भी हो।[पैरा **10**] [**667**-जी-एच; **668**-ए-बी] ए

/

/

/

663

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनामलोकेंद्र राथोड और हमारा।

3. चूँकि मृतक के परिवार में सात आश्रित हैं, इसलिए मृतक के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए उचित कटौती केवल **1/5** वीं होनी चाहिए न कि **1/4** वीं, जैसा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है।न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं में कोई वृद्धि नहीं करके गलती की, जबकि उच्च न्यायालय ने सरला वर्मा और प्रणय सेठी पर भरोसा रखते हुए कहा कि चूंकि मृतक की आयु **40** वर्ष से अंतर्गत थी और वह स्व-नियोजित था, इसलिए वह अपनी स्थापित आय के **40** प्रतिशत की भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का हकदार होगा।इसलिए उच्च न्यायालय के भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय का **40** प्रतिशत जोड़ने के तर्क में कोई त्रुटि नहीं है।[पारस **12** और **15**] [**668**-ई-एफ; **669**-ई-एफ]**4.** न्यायाधिकरण ने पारंपरिक सिरों और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए क्रमशः **Rs.10,000/-** और **2,000/-** की मामूली राशि का फैसला सुनाया, जबकि उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी पर भरोसा करते हुए पारंपरिक सिरों के अंतर्गत **Rs.70,000/-** और मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए **Rs.10,000/-** का फैसला सुनाया।यद्यपि उच्च न्यायालय प्रणय सेठी पर निर्भरता रखने में सही था, लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी में दिए गए निर्देश के अनुसार हर तीन साल में पारंपरिक शीर्षों पर **10** प्रतिशत की वृद्धि नहीं देकर गलती की।इसलिए उच्च न्यायालय को प्रणय सेठी के कथन के अनुसार पारंपरिक शीर्षों में **10** प्रतिशत की वृद्धि जोड़नी चाहिए थी।[पैरा **16**] [**669**-एफ-जी]

/

/

/

/

5. संयुक्त भारत में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी पर विचार करने के बाद सतिंदर कौर

पति-पत्नी संघ को **Rs.40,000/**की दर से और प्रत्येक बच्चे को **Rs.40,000/-** की दर से माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए सम्मानित किया गया है।इन शीर्षों के अंतर्गत मुआवजे में भी **10** प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है।इस प्रकार, पति-पत्नी संघ को **Rs.44,000/**(केवल **44** हजार) पर सम्मानित किया जाता है, और माता-पिता के संघ को **Rs.44,000/**प्रत्येक (कुल रु. **1,32,000**) की दर से तीन बच्चों को सम्मानित किया जाता है।इस प्रकार अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजा **91,388/-** है, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख से अपीलार्थियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख तक **9** प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज है।[पारस **17** और **18**] **[670-**एफ-जी; **671-**ई-एफ]

/

/

/

/

मलारविझी और ओआरएस. वी.यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

& ओआरएस। (2020) 4 एससीसी 228:[2019] 16 एससीआर 1086; सरला

वर्मा और ओआरएस. वी.दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर।

(2009) 6 एससीसी 121:[2009] 5 एससीआर 1098; राष्ट्रीय

बीमा कंपनी लिमिटेड बनामप्रणय सेठी और अन्य। **(2017) 16**

एससीसी 680:[2017] 13 एस. सी. आर. 100; यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस

/

कं. लिमिटेड बनाम।सतिंदर कौर @सतविंदर कौर और अन्य।

(2021) 11 एस. सी. सी. **780-**पर निर्भर था।

लक्ष्मी देवी और ओआरएस. वी.मोहम्मद तब्बर और अन्र। **(2008)**

12 एससीसी **165:[2008] 5** एस. सी. आर. **436-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[2008] 5 एससीआर **436**

संदर्भित

पैरा **6**

[2019] 16 एससीआर **1086**

पर विश्वास किया

पैरा **8**

[2009] 5 एससीआर **1098**

पर विश्वास किया

पैरा **10**

/

[2017] 13 एससीआर **100**

पर विश्वास किया

पैरा **11**

(2021) 11 एससीसी **780**

पर विश्वास किया

पैरा **17**

सिविल अपीलीय अधिकारिता 2022 की सिविल अपील संख्या 9014।

/

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 2013 के एम. ए. संख्या 2592 में इंदौर की पीठ के दिनांकित <आई. डी. 1 के निर्णय और आदेश से।एन. के. मोदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रबुद्ध सिंह गौर, सुश्री इशिता एम. पुराणिक, सुखामृत सिंह, सुरेश कुमार भान, प्रवीण स्वरूप, अधिवक्ता।अपीलार्थियों के लिए।

/

सुश्री मीनाक्षी मिधा, सुश्री प्रीतिका जुनेजा, चंदर शेखर अशरी, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

कृष्णा मुरारी, जे।

/

छुट्टी मंजूर की गई

2. वर्तमान अपील मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, इंदौर के निर्णय की पहली अपील में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 16 अगस्त, 2018 के निर्णय से उत्पन्न होती है।

/

665

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनामलोकेंद्र राथोड और हमारा। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

/

3. अपीलार्थी राजेश (मृतक) के उत्तराधिकारी और कानूनी प्रतिनिधि हैं जिनकी 15 अगस्त 2010 को एक मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी।वह पंजीकरण संख्या वाली मारुति ऑल्टो कार में यात्रा कर रहे थे। एम. पी.-09-एच. ई.-3322, बडवाह रोड पहुंचने पर, पंजीकरण संख्या वाली बस। एम. पी.-09-एफ. ए.-3169, जिसे प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जल्दबाजी और लापरवाही से चलाया जा रहा था, राजेश की कार से टकरा गया, जिसके परिणामस्वरूप राजेश (मृतक) को शरीर के विभिन्न हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं, बाद में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया।उनके परिवार में उनकी दो पत्नियां, तीन बच्चे और उनके माता-पिता हैं, जो इस न्यायालय के समक्ष अपीलकर्ता हैं।

/

4. दावेदारों/अपीलकर्ताओं ने न्यायाधिकरण के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166 के अंतर्गत एक दावा याचिका दायर की, जिसमें मुआवजे की राशि Rs.20 लाख की मांग की गई।12 जुलाई, 2013 के अपने निर्णय द्वारा न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का अनुमान Rs.4000-प्रति माह लगाया और दावा याचिका दायर करने की तारीख से निर्धारित राशि की पूर्ण प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ-साथ रु. 6,24,000 की राशि में दावे की अनुज्ञात ।अपीलकर्ताओं ने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय , इंदौर पीठ के समक्ष पहली अपील दायर की, जिसमें 16 अगस्त, 2018 के आक्षेपित निर्णय के माध्यम से उच्च न्यायालय ने मृतक की अनुमानित आय को बढ़ाकर रु। 5000/- प्रति माह और रुपये का मुआवजा दिया गया। 11,41,000-दावा याचिका दायर करने की तारीख से निर्धारित राशि की पूर्ण प्राप्ति की तारीख तक 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ।उच्च न्यायालय के निर्णय से व्यथित दावेदार इस न्यायालय के समक्ष अपील कर रहे हैं।

/

/

/

5. दुर्घटना की घटना और मुआवजे का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-बीमाकर्ता के दायित्व के बारे में कोई विवाद नहीं है।इस स्वीकृत स्थिति को देखते हुए, दुर्घटना के तथ्यात्मक पहलुओं का वर्णन करना अनावश्यक है।

/

6. दुर्घटना के समय मृतक की आयु 28 वर्ष थी और वह कबाड़ का व्यवसाय करता था और रुपये कमाता था। 15, 000/- प्रति माह, जैसा कि अपीलार्थियों द्वारा दावा किया गया था, अपीलार्थियों ने न्यायाधिकरण के समक्ष वित्तीय वर्ष के लिए मृतक का आयकर विवरणी दाखिल किया था, जिसमें मृतक की कुल आय लगभग रु.Rs.9855-प्रति माह।एम. ए. सी. टी. ने मृतक के आयकर विवरणी की इस आधार पर अवहेलना की कि न तो आई. डी. 1 से पहले कोई आई. टी. आर. और न ही मृतक की आय के संबंध में कोई अन्य दस्तावेज न्यायाधिकरण के समक्ष दायर किया गया था।इस पर भरोसा करते हुए एम. ए. सी. टी.

/

/

लक्ष्मी देवी एंड ओआरएस में अदालत का निर्णय । बनाम मोहम्मद तब्बर और

एन. आर. 1, मृतक को एक कुशल श्रमिक माना और उसकी आय Rs.4000-प्रति माह यानी Rs.48,000/- प्रति वर्ष निर्धारित की।न्यायाधिकरण ने '17' का गुणक लागू किया और निर्भरता के नुकसान के शीर्ष के अंतर्गत मुआवजे की गणना के उद्देश्य से अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का एक-चौथाई (1/4) काट लिया।कुल रु. 6,12,000-निर्भरता के नुकसान के लिए प्रदान किया गया था, इसमें दर्द और पीड़ा के नुकसान के लिए 000/- और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 2,000/- रुपये जोड़े गए थे।एम. ए. सी. टी. ने दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ मुआवजे के लिए कुल रु. <आई. डी. 1-(केवल छह लाख चौबीस हजार रुपये) की राशि प्रदान की।

/

/

7. हालाँकि, उच्च न्यायालय ने माना कि न्यायाधिकरण ने मृतक की आय का अनुमान 4,000/- रुपये प्रति माह लगाने में अन्याय किया था, यह देखते हुए कि मृतक परिवार का एकमात्र कमाने वाला था, उच्च न्यायालय ने मृतक की आय का अनुमान 5,000/- रुपये प्रति माह लगाया।इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायाधिकरण 'भविष्य की संभावनाओं' के शीर्ष के अंतर्गत कोई भी निर्णय पारित करने में विफल रहा, इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा कि चूंकि मृतक 28 वर्ष

का था और स्व-नियोजित था, इसलिए वह 40 प्रतिशत की भविष्य की संभावनाओं का हकदार था। उच्च न्यायालय ने मृतक की मासिक आय 5,000/- रुपये प्रति माह निर्धारित की, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय का 40 प्रतिशत (2,000/- रुपये) जोड़ा और व्यक्तिगत खर्चों के लिए आय का एक चौथाई (एक चौथाई) काट लिया, जो कुल मिलाकर 1,000/- रुपये था।इसने निर्भरता की गणना के लिए एक गुणक '17' लागू किया और पारंपरिक शीर्ष के अंतर्गत Rs.70,000/- से सम्मानित किया।तदनुसार, उच्च न्यायालय ने दावा याचिका की तारीख से वसूली की तारीख तक प्रति वर्ष 6 प्रतिशत की दर से ब्याज के साथ 41,000 रुपये (केवल ग्यारह लाख इकतालीस हजार रुपये) का मुआवजा दिया।8. उच्च न्यायालय के 16 अगस्त, 2018 के आक्षेपित आदेश पर जोर देते हुए, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने तर्क दिया है:-

/

/

/

ए। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण वर्ष के लिए 28.05.2010 पर दायर मृतक के आयकर रिटर्न पर विचार करने में विफल रहे, उच्च न्यायालय ने इस आधार पर आईटीआर को खारिज कर दिया कि आयकर निरीक्षक की जांच के दौरान पहले के रिटर्न दाखिल नहीं किए गए थे।

/

1 (2008) 12 एससीसी 165 ए

/

667

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनामलोकेंद्र राथोड और हमारा। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

बी। उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरण यह देखने में विफल रहे कि चूंकि आश्रितों की संख्या 6 सदस्यों से अधिक है, इसलिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए की गई कटौती एक-पंचमांश (1/5 वां) होनी चाहिए।वर्तमान मामले में मृतक के 7 आश्रित हैं।

ग. न्यायाधिकरण पारंपरिक शीर्षों के अंतर्गत कोई भी राशि देने में विफल रहा और उच्च न्यायालय ने पारंपरिक शीर्षों के अंतर्गत एकमुश्त राशि में Rs.70,000/- का फैसला सुनाया, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के मलारविझी और अन्य मामलों के निर्णय के अनुसार यह राशि रु. 1,20,000 होनी चाहिए थी। बनाम।

/

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। **2.**

/

घ. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने आवेदन की तारीख से 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया, जबकि यह 9 प्रतिशत होना चाहिए था जैसा कि मलारविझी और अन्य में माना गया था। बनाम।

यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। (सुप्रा)।

9. न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय दोनों ने मृतक के आयकर विवरणी की अवहेलना करके मृतक की आय का अनुमान लगाते हुए गंभीर त्रुटि की।अपीलकर्ताओं ने मृतक का आयकर विवरणी (2009-2010) दाखिल किया था, जो मृतक की वार्षिक आय को दर्शाता है।9, 855/- प्रति माह। मलारविझी और अन्य में यह न्यायालय । (सुप्रा) ने फिर से पुष्टि की है कि आयकर विवरणी एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर वार्षिक आय की गणना के लिए, जहां उपलब्ध हो, निर्भरता रखी जानी चाहिए।मलारविझी (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:

/

/

"10. …हम उच्च न्यायालय से सहमत हैं कि निर्धारण आयकर विवरणी के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए, जहां उपलब्ध हो।आयकर विवरणी एक वैधानिक दस्तावेज है जिस पर मृतक की वार्षिक आय निर्धारित करने के लिए निर्भरता रखी जा सकती है। "

/

इसलिए, इस न्यायालय की राय है कि मृतक की वार्षिक आय रु. 1,18,261-, लगभग निर्धारित की जाए।वर्ष 2009-2010 के लिए मृतक के आयकर विवरणी को ध्यान में रखते हुए 9,855/- रुपये प्रति माह। 10.मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (संक्षेप में, "मोटर वाहन अधिनियम") के प्रावधान 'न्यायसंगत और निष्पक्ष' मुआवजे की अवधारणा को सर्वोपरि महत्व देते हैं।यह एक लाभकारी कानून है जिसे विरचित किया गया है।

/

2 (2020) 4 एससीसी 228

/

668

/

[2022] 16 एस सी आर।

पीड़ितों या उनके परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से।मोटर वाहन अधिनियम की धारा 168 'न्यायसंगत मुआवजे' की अवधारणा से संबंधित है जिसे निष्पक्षता, तर्कसंगतता और समानता की नींव पर निर्धारित किया जाना चाहिए।यद्यपि ऐसा निर्धारण कभी भी अंकगणितीय रूप से सटीक या पूर्ण नहीं हो सकता है, फिर भी न्यायालय द्वारा आवेदक द्वारा दावा की गई राशि की परवाह किए बिना न्यायसंगत और उचित मुआवजा देने का प्रयास किया जाना चाहिए।

/

एस. सरला वर्मा और ओआरएस में। बनाम दिल्ली परिवहन निगम और एएनआर। **3,**

इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया हैः

“16. .....”न्यायसंगत क्षतिपूर्ति "पर्याप्त मुआवजा है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्यायसंगत है, ताकि मुआवजे के पुरस्कार से संबंधित अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांतों को लागू करके गलत के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई की जा सके।यह एक उपहार, उदारता या लाभ का स्रोत बनने का इरादा नहीं है। "

/

11. सरला वर्मा (सुप्रा) में आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां मृतक विवाहित था, वहां मृतक के व्यक्तिगत और रहन-सहन के खर्चों के लिए कटौती एक तिहाई (1/3) होनी चाहिए, जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 2 और 3 के बीच है, एक चौथाई (1/4) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 4 और 6 के बीच है, और एक-पांचवां (1/5) जहां आश्रित परिवार के सदस्यों की संख्या 6 से अधिक है।उसी की पुष्टि संविधान पीठ द्वारा की गई है

/

राष्ट्रीय बीमा कंपनी लिमिटेड में यह न्यायालय । बनाम प्रणय सेठी और अन्य। **4.**

/

12. तत्काल मामले में मृतक के सात (7) आश्रित हैं, इसलिए सरला वर्मा (सुप्रा) के निर्णय और प्रणय सेठी (सुप्रा) में इस अदालत के संविधान पीठ के निर्णय को देखते हुए मृतक के लिए व्यक्तिगत खर्चों के लिए उचित कटौती 1/5 वीं होनी चाहिए न कि 1/4 वीं, जैसा कि न्यायाधिकरण और उच्च न्यायालय द्वारा लागू किया गया है।13. सरला वर्मा (सुप्रा) मामले में मृतक की भविष्य की संभावनाओं के लिए किए जाने वाले परिवर्धन के संबंध में, इस न्यायालय ने कहा है कि मुआवजे की गणना करते समय, अदालतों को न केवल मृत्यु के समय की वास्तविक आय को ध्यान में रखना चाहिए, बल्कि भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान देते हुए परिवर्धन भी करना चाहिए।यह आगे माना गया कि हालांकि साक्ष्य वृद्धि के एक अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मापदंडों को लागू करने या गणना के अलग-अलग तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है।

/

/

3 (2009) 6 एससीसी 121 4 (2017) 16 एससीसी 680 ए

/

669

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनामलोकेंद्र राथोड और हमारा। [कृष्णा मुरारी, जे।] ए.

14. प्रणय सेठी (सुप्रा) में, इस न्यायालय ने न केवल सरला वर्मा (सुप्रा) में की गई उपरोक्त टिप्पणियों को मंजूरी दी है, बल्कि निम्नलिखित रूप में भी अभिनिर्धारित किया है:

" 59.3.आय का निर्धारण करते समय, भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय में वास्तविक वेतन का 50 प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए, जहां मृतक के पास स्थायी नौकरी थी और उसकी आयु 40 वर्ष से कम थी।यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच है तो यह वृद्धि 30 प्रतिशत होनी चाहिए।यदि मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, तो वृद्धि 15 प्रतिशत होनी चाहिए।वास्तविक वेतन को वास्तविक वेतन रहित कर के रूप में पढ़ा जाना चाहिए।

/

/

59.4.यदि मृतक स्व-नियोजित था या एक निश्चित वेतन पर था, तो स्थापित आय का 40 प्रतिशत अतिरिक्त वारंट होना चाहिए जहां मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी।25 प्रतिशत की वृद्धि जहां मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष के बीच थी और 10 प्रतिशत जहां मृतक की आयु 50 से 60 वर्ष के बीच थी, को गणना की आवश्यक विधि माना जाना चाहिए।स्थापित आय का अर्थ है आय को कर घटक से घटाना। "

/

15. न्यायाधिकरण ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं में कोई वृद्धि नहीं करके गलती की, जबकि उच्च न्यायालय ने निर्भरता रखते हुए

/

सरला वर्मा (सुप्रा) और प्रणय सेठी (सुप्रा) ने माना कि तब से

मृतक की आयु 40 वर्ष से अंतर्गत थी और वह स्व-नियोजित था, वह अपनी स्थापित आय के 40 प्रतिशत की भविष्य की संभावनाओं को जोड़ने का हकदार होगा।हम भविष्य की संभावनाओं के लिए मृतक की आय का 40 प्रतिशत जोड़ने के उच्च न्यायालय के तर्क में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।

/

16. न्यायाधिकरण ने पारंपरिक सिरों और अंतिम संस्कार के खर्चों के लिए क्रमशः <ID2,000/- और 2,000/- रुपये की मामूली राशि का फैसला सुनाया, जबकि उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी (सुप्रा) पर भरोसा करते हुए पारंपरिक सिरों के अंतर्गत <ID1,000/- और मृतक के अंतिम संस्कार के खर्च के लिए <ID2,000/- का फैसला सुनाया।यद्यपि उच्च न्यायालय प्रणय सेठी (सुप्रा) पर निर्भरता रखने में सही था, लेकिन उच्च न्यायालय ने प्रणय सेठी (सुप्रा) में निर्देश के अनुसार हर तीन साल में पारंपरिक शीर्षों पर 10 प्रतिशत की वृद्धि नहीं देकर गलती की, लेकिन निम्नलिखित टिप्पणियों को निकालना प्रासंगिक हो सकता हैः-

/

'52.....कहने की जरूरत नहीं है कि पारंपरिक और पारंपरिक शीर्षों को प्रतिशत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि

/

यह एक स्वीकार्य मानदंड नहीं होगा।आय के निर्धारण के विपरीत, उक्त शीर्षों की मात्रा निर्धारित की जानी चाहिए।किसी भी परिमाणीकरण का एक उचित आधार होना चाहिए।इस तथ्य पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि मूल्य सूचकांक, बैंक ब्याज में गिरावट, कई क्षेत्रों में दरों में वृद्धि पर ध्यान दिया जाना चाहिए।न्यायालय इससे बेखबर नहीं रह सकती।इस पहलू में एक अंगूठा नियम रहा है।अन्यथा, इसके निर्धारण में अत्यधिक कठिनाई होगी और जब तक अंगूठे के नियम को लागू नहीं किया जाता है, तब तक किसी भी प्रकार की स्थिरता की कमी होगी, जिसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरणों और अदालतों द्वारा पारित आदेशों के दिशाहीन होने की संभावना है।इसलिए, हम सोचते हैं कि यह उचित राशि तय करने के लिए प्रतीत होता है।हमें ऐसा लगता है कि पारंपरिक शीर्षों पर उचित आंकड़े, अर्थात् संपत्ति का नुकसान, संघ का नुकसान और अंतिम संस्कार का खर्च क्रमशः 15,000 रुपये, Rs.40,000 और Rs.15,000 रुपये होना चाहिए।उक्त प्रमुखों पर पुनर्विचार करने का सिद्धांत एक स्वीकार्य सिद्धांत है।लेकिन समीक्षा तथ्य-केंद्रित या मात्रा-केंद्रित नहीं होनी चाहिए।हमारा मानना है कि यह खेदजनक होगा कि हमने जो राशि निर्धारित की है, उसे हर तीन साल में प्रतिशत के आधार पर बढ़ाया जाना चाहिए और तीन साल की अवधि में वृद्धि 10 प्रतिशत की दर से होनी चाहिए।हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं क्योंकि यह उन शीर्षों के संबंध में निरंतरता लाएगा। "

/

/

/

/

इसलिए, हमारी राय है कि उच्च न्यायालय को उक्ति के अनुसार पारंपरिक शीर्षों में 10 प्रतिशत की वृद्धि जोड़नी चाहिए थी।

प्रणय सेठी (सुप्रा) में।

17. यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ

/

कं. लिमिटेड बनाम।सतिंदर कौर @सतविंदर कौर और अन्य। **5** के बाद

प्रणय सेठी (सुप्रा) पर विचार करते हुए, पति-पत्नी के संघ को Rs.40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये) की दर से और प्रत्येक बच्चे को Rs.40,000/- (केवल चालीस हजार रुपये) की दर से माता-पिता के संघ के नुकसान के लिए सम्मानित किया गया है।इन शीर्षों के अंतर्गत मुआवजे में भी 10 प्रतिशत की वृद्धि की आवश्यकता है।इस प्रकार, स्पौसल कंसोर्टियम को Rs.44,000/- (केवल 44 हजार) पर सम्मानित किया जाता है, और माता-पिता के कंसोर्टियम को Rs.44,000/- की दर से (कुल रु. 1,32,000-) तीन बच्चों को प्रदान किया जाता है।

/

5 (2021) 11 एससीसी 780 ए

/

671

एसएमटी। अंजलि और ओ. आर. एस. बनामलोकेंद्र राथोड और हमारा। [कृष्णा मुरारी, जे।]

18. उपर्युक्त चर्चा के आलोक में, अपीलार्थी निम्नलिखित राशियों के हकदार हैं:

Sl.No।	मुखिया।	मुआवजा दिया गया
1	आमदनी	रु. 9, 855/- प्रति माह
/	भविष्य की संभावनाएं	3, 942/- (आय का 40 प्रतिशत)
3	व्यक्तिगत खर्चों में	2300/- रुपये

	कटौती	(यानी 9,855 रुपये का 1/6 वां हिस्सा + 3,942 रुपये)
/	कुल वार्षिक आय	रुपये. 1,37,964- [(यानी 9,855 रुपये का 5/6 वां हिस्सा + 3,942 रुपये) x 12]
/	गुणक	17
/	निर्भरता का नुकसान	Rs.23,45,388/- (यानी रु. 1,37,964 x 17)
7	अंतिम संस्कार का खर्च	रु. 50, 000/-
।	संपत्ति का नुकसान	रु. 20, 000/-
/	स्पौसल कंसोर्टियम का नुकसान रु। 44, 000/-	
10	तीन बच्चों में से प्रत्येक को पेरेंटल कंसोर्टियम का नुकसान।	रु. 44, 000/- प्रत्येक
/	भुगतान की जाने वाली कुल क्षतिपूर्ति	Rs.25,91,388/-।

/

/

/

/

इस प्रकार अपीलार्थियों को देय कुल मुआवजा 91,388/- है, जिसमें आवेदन दाखिल करने की तारीख से अपीलार्थियों को मुआवजे के भुगतान की तारीख तक 9 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज है।

/

19. अपील की अनुज्ञात ऊपर बताए गए हद तक दी जाती है।

/

अपील अनुज्ञात ।

(सहायकः महेंद्र यादव, एलसीआरए)

/

/